



राहुल गांधी राह मानहानि केस में 8 साल बाद बरी जज ने 16 मिनट में फैसला सुनाया,3 कारण-जिसकी वजह से कोर्ट ने दोषमुक्त किया

सुल्तानपुर,26 अक्टूबर 2026। ‘जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।’ राहुल गांधी ने करीब साढ़े सात साल पहले यह बयान दिया था। उन पर मानहानि का केस हुआ। हालांकि,यूपी के सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसे अपमानजनक नहीं माना और 26 अक्टूबर को उन्हें बरी कर दिया।

कोर्ट ने भाजपा नेता से कहा...झूठी वाहवाही के लिए केस किया

राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट सुबह 11.12 बजे पहुंचे। 11.35 बजे कोर्ट से बाहर आ गए। जज ने भाजपा नेता को फटकार भी लगाई। जज ने कहा- झूठी वाहवाही पाने के लिए इस तरह के मुकदमे दायर नहीं करने चाहिए। ऐसे मामलों से अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है। मामले दायर करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। बिना ठोस आधार के मुकदमा नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में राहुल की तरफ से वरिष्ठ वकील आरएस चौमा और काशी शुक्ला ने दलीलें दीं।

काँकरोचों को पनपने न दें...दिमागी नक्सल और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ से दूर रहें,लोगों से अपील...पीएम का साथ दें : सुवेंदु अधिकारी

नई दिल्ली,26 अक्टूबर 2026। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि‘दिमागी नक्सल’, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ और काँकरोचों को पनपने न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों। सुवेंदु ने यह बातें तमलुक में भाजपा के पार्टी कार्यालय के भूमि पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। दो दिन में यह दूसरी बार है जब सुवेंदु ने काँकरोच पार्टी पर निशाना साधा। रविवार को भी रामनगर में एक कार्यक्रम में सुवेंदु ने कहा था काँकरोच, खटमल जैसी बुराइयां कोरोना वायरस की तरह फैलने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें कोटनाशक स्प्रे‘हिट’से ही खत्म किया जा सकता है। ममता सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की। ममता को राष्ट्रवाद की कोई समझ नहीं थी और वह राज्य को‘ग्रेटर बांग्लादेश’ में बदलने की योजना बना रही थी। 34 साल तक शासन करने वाले वामपंथी और 15 साल तक सत्ता में रही टीएमपी सरकार ने लोगों की विरासत और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। टीएमपी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर में छात्रों के नामांकन को रोकने की कोशिश की और उसकी जगह ‘जय हिंद वाहिनी’ शुरू की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर में शामिल होने से छात्रों को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में चयन में मदद मिल सकती थी।



कोच्चि,26 अक्टूबर 2026। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि जज कानून के सवालों पर अलग राय रख सकते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में आपसी सम्मान और संयम जरूरी है। न्यायाधीशों के मत अलग हो सकते हैं,लेकिन कोई भी दूसरे से ऊपर नहीं है। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की डिवीजन बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के सभी जज समान दर्जे के होते हैं। किसी भी बेंच को दूसरी बेंच पर संस्थागत श्रेष्ठता का दावा नहीं करना चाहिए। कोच्चि में 26 अक्टूबर को जारी कोर्ट की प्रेस रिलीज के अनुसार,बेंच ने यह टिप्पणी तिरुवनंतपुरम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक के एक कर्मचारी की अपील पर 15 अक्टूबर के फैसले में की। कोर्ट ने लेबर कोर्ट को अनुशासनात्मक कार्रवाई की समय-सीमा बढ़ाने के आवेदन पर दो महीने में फिर से विचार करने का निर्देश दिया।

सरकार ने 2.12 लाख करोड़ के हथियारों को दी मंजूरी हेलिकॉप्टर,ड्रोन सिस्टम,हथियार खरीदे जाएंगे,82% खरीदी भारतीय उद्योगों से होगी

नई दिल्ली,26 अक्टूबर 2026। सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को तीनों सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंजूरी दी। इसमें मल्टीपरपज हेलिकॉप्टर,लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन सिस्टम और हथियार शामिल हैं। इनमें करीब 82% खरीदी भारतीय उद्योगों से की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी।

सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल खरीदे जाएंगे : सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल,सेल्फ-प्रोपेलड ट्रेकड गन सिस्टम,एयर डिफेंस



अनमैड एरियल सिस्टम की भी खरीद

लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सेना के लिए वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर अनमैड एरियल सिस्टम खरीदे जाएंगे। सेना के लिए अन्य अनमैड एरियल सिस्टम और सर्विलांस अनमैड एरियल व्हीकल्स की खरीद को भी मंजूरी दी। इंडीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन सिस्टम भी इसमें शामिल हैं।

सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। नौसेना और वायुसेना के लिए भी कई अहम प्लेटफॉर्म,हेलिकॉप्टर,रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को मंजूरी मिली है।

नौसेना और वायुसेना के लिए मंजूरी
भारतीय नौसेना के लिए एफ़िक्टव ऑफ़बोर्ड डिफ़ेंस सिस्टम और अन्य बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। भारतीय वायुसेना के लिए हेलिकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की खरीद को मंजूरी दी गई है।

तमिलनाडु में 100 करोड़ का घोटाला,पूर्व मंत्री अरेस्ट

आरोप-1000 प्राइवेट स्कूलों से पार्टी फंड के लिए पैसे लिए,बदले में मान्यता खोले प्रज्व मंजूरी दी

चेन्नई,26 अक्टूबर 2026। तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और टीएमके नेता अनबिल महेश पोय्यामोड़ी को सोमवार को 100 करोड़ रुपये के प्राइवेट स्कूल घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया। महेश पर आरोप है कि उन्होंने 2021 से 2026 तक स्कूल शिक्षा मंत्री रहने के दौरान 1,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन से ‘पार्टी फंड’ के नाम पर पैसे वसूलें। आरोप है कि इसके बदले स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य प्रशासनिक मंजूरियां दी गईं। महेश ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत भी लगाई थी। सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। कुछ घंटे बाद ही ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मामला निजी स्कूलों को सरकारी मंजूरी दिलाने के नाम पर पैसे जुटाने से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार,

तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क किया और सरकारी मंजूरियां दिलाने का भरोसा देकर पैसे लिए। मामले की शुरुआत तमिलनाडु में निजी स्कूलों के संगठनों से जुड़े डी.सी. इलंगोवन की शिकायत से हुई। वह फेडरेशन ऑफ़ एसोसिएशंस ऑफ़ प्राइवेट स्कूल्स, तमिलनाडु के सचिव बताए गए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बीटी अरसाकुमार और दूसरे पदाधिकारियों ने निजी स्कूलों से सदस्यता शुल्क और दूसरी रकम ली। दावा किया गया कि इसके बदले स्कूलों को सरकारी अनापति प्रमाणपत्र,लाइसेंस, स्थायी मान्यता, नवीनीकरण और अन्य मंजूरियां दिलाई जाएंगी।



राहुल बोले...ज्ञानेश को हटाएं 30 सेकेंड में आंदोलन रोक देंगे

राहुल बोले...ज्ञानेश को हटाएं 30 सेकेंड में आंदोलन रोक देंगे
दिल्ली के व्यापारी बोले...प्रदर्शन से 20 बाजार बंद होंगे,करोड़ों का नुकसान होगा

नई दिल्ली,26 अक्टूबर 2026। राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली को टालने से इनकार कर दिया। राहुल ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि दिल्ली के हर व्यापारी से हम प्यार करते हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। मोदी जी से कहिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटा दें। 30 सेकेंड में आंदोलन रुक जाएगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर सोमवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस से 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को दिवाली के बाद कराने की मांग की। चैंबर ऑफ़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों को पत्र लिखा जाएगा। संगठन ने दिवाली फेस्टिवल सीजन में 10 हजार करोड़ रुपए के व्यापारिक नुकसान की चेतावनी दी है। खड़गे ने एक्स पर लिखा...यह ल्योहर का मौसम है, लेकिन इस समय आप कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं। सरकार को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं, क्योंकि वह सिर्फ वोट चोरी करना जानते हैं। इसी सिलसिले में 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली होगी। आप से अपील है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस रैली में बड़-चढ़कर हिस्सा लें।

चक्रवात अर्नब आंध्र की तरफ बढ़ा,4 राज्यों में अलर्ट

नई दिल्ली,26 अक्टूबर 2026। चक्रवात अर्नब बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह 27 अक्टूबर तक तूफान का रूप ले सकता है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 140 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है। तटीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में अलर्ट है। ओडिशा में 60 रेस्क्यू टीम तैनात होंगी।

खड़गे के बयान के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष ने पटना में कहा था...मोदी का बाप भी जाएगा,शिकायत दर्ज...

नई दिल्ली,26 अक्टूबर 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा वाले बयान को लेकर भाजपा ने सोमवार को देशभर में प्रदर्शन हुआ। वहीं, कांग्रेस के कई नेता इस मामले में सफाई देकर खड़गे का बचाव कर रहे हैं। खड़गे ने रविवार को पटना में कांग्रेस के कार्यक्रम में यह बयान दिया था। उन्होंने तीन बार यह बात दोहराई थी। एक व्यक्ति ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे, जिसके जवाब में खड़गे ने यह टिप्पणी की थी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स की पिटाई कर दी। इसी मामले को लेकर बिहार के पटना में शिकायत दर्ज हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह ने खड़गे से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा...खड़गे मेरी बात नहीं समझे : मोदी नहीं जाएंगे,कहने पर जिस शख्स को पीटा गया, वह कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है। उसका नाम संतोष है। पिटाई के दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे बचाया और बाहर ले गईं। संतोष ने मीडिया से



भाजपा बोली...इनकी कार्यशैली माफियाओं जैसी : भाजपा ने एक्स पर खड़गे का वीडियो शेयर करके लिखा...कभी जिस भाषा को गुंडे-मवालिगों से जोड़ा जाता था,आज कांग्रेस अध्यक्ष उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह राजनीतिक पार्टी नहीं,बल्कि एक माफिया गैंग प्रतीत होती है।

100% एथेनॉल वाले ईंधन को सरकार की मंजूरी सरकार बोली...कच्चे तेल का आयात और प्रदूषण घटेगा



नई दिल्ली,26 अक्टूबर 2026। केंद्र सरकार ने देश में 100% एथेनॉल-ब्लेंडेड पन्थूल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस पन्थूल का इस्तेमाल उन स्पेशल व्हीकल्स में हो किया जा सकता है,जो इसके लिए खासतौर पर डिजाइन और सर्टिफाइड किए गए हों। यह फैसला कुछ कार कंपनियों के ई1100 कारों को बाजार में लॉन्च करने से ठीक पहले आया है। सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करके सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में बदलाव किया है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में क्या संशोधन किए गए हैं? एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नियमों में किए गए इस नए संशोधन के तहत उसजर्जन प्रावधानों को अपडेट किया गया है।

नियमों में ई100 को शामिल करना : अब एमिशन मानकों में ई185 ईंधन के साथ-साथ ई1100 को भी आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है।

केरल हाईकोर्ट बोला...जजों में आपसी सम्मान जरूरी,उनके फैसले अलग हो सकते हैं,लेकिन कोई जज दूसरे से बड़ा नहीं



‘पीयर रेस्ट्रेट’ को न्यायिक अनुशासन का आधार बताया...

डिवीजन बेंच ने ‘पीयर रेस्ट्रेट’ को न्यायिक अनुशासन का बुनियादी हिस्सा बताया। कोर्ट ने कहा कि सभी जजों का दर्जा समान है और कोई बेंच दूसरी बेंच से संस्थागत रूप से बड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीयर रेस्ट्रेट केवल बाध्यकारी नज्दीय के सिद्धांत तक सीमित नहीं है। इसमें बेंचों के बीच न्यायिक शिष्टाचार,आपसी सम्मान और सामंजस्य भी शामिल हैं। कोर्ट के अनुसार,न्यायिक फैसलों में एकरूपता और भरोसा बनाए रखने के लिए ये सिद्धांत जरूरी हैं।

बदलना...श्रेष्ठता का अधिवाह नहीं...

कोर्ट ने कहा...कि अपीलीय डिवीजन बेंच किसी सिंगल जज के फैसले से असहमत हो सकती है। वजह सही हो तो,वह फैसले को रद्द कर सकती है,उसमें बदलाव भी कर सकती है। हालांकि, किसी न्यायिक फैसले को सुधारने की शक्ति से उस जज पर श्रेष्ठता हासिल नहीं होती,जिसने फैसला दिया था। जजों ने समझाया कि सिंगल जज और डिवीजन बेंच, दोनों संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसी हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करते हैं। इंग्ट-कोर्ट अपील फैसले की अतिरिक्त न्यायिक जांच का मौका देती है। इससे सिंगल जज अपीलीय बेंच के अधीनस्थ नहीं हो जाता। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि चीफ जस्टिस का पद भी ‘प्राइमस इंटर पेरेस’ यानी बराबर लोगों में पहला का होता है।

मामला को-ऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी से जुड़ा...

तिरुवनंतपुरम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक के एक कर्मचारी पर अनुशासन की कार्रवाई (जैसे सस्पेंशन/जांच) चल रही थी। लेबर कोर्ट ने बैंक को कहा...‘ठीक है,तुम्हें कार्रवाई पूरी करने के लिए और ज्यादा समय दे देते हैं। कर्मचारी को ये लगा गलत है,वो हाई कोर्ट चला गया-बोला लेबर कोर्ट ऐसे टाइम कैसे बढ़ा सकता है। मामला पहले सिंगल जज ने सुना,फिर डिवीजन बेंच (2 जज) में गया। पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने कहा था...‘एक मुद्दे पर दोबारा सोचने के लिए केस वापस सिंगल जज को भेजते हैं।’

सेवा कोई कार्यक्रम नहीं,बल्कि स्वभाव बने,‘मैं’ की बजाय ‘हम’ की भावना के साथ करें कार्य : नितिन नवीन

सिरौही/जयपुर,26 अक्टूबर 2026। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान की 90 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा सेवा,साधना,शांति और विश्व बंधुत्व का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने संस्थान की थीम ‘जागृति से कर्म तक’ का जिक्र करते हुए कहा कि जागृति तभी सार्थक होती है,जब व्यक्ति अपने विचारों को कर्म में उतारे और आचरण से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। निःस्वार्थ सेवा,समर्पण और सहयोग भारतीय संस्कृति की पहचान है। सेवा हमारे लिए केवल कार्यक्रम नहीं,बल्कि स्वभाव बननी चाहिए। व्यक्ति को ‘मैं’ को बजाय ‘हम’ की भावना के साथ समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के 90 वें स्थापना दिवस पर आयोजित नवदर्शकोत्सव एवं ग्लोबल समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्थान ने अर्बुदांचल की पवित्र भूमि को योग, साधना और आध्यात्मिक चेतना के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित



किया है। उन्होंने संस्थान में महिला नेतृत्व की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय परम्परा में महिलाओं का ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता में अहम योगदान रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वुमन डवलपमेंट’ की बजाय ‘वुमन-लेड डवलपमेंट’ विजन के अनुसार मातृशक्ति का नेतृत्व समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखकर ही देश के भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

राजनाथ सिंह बोले...वखान दुर्भाग्यपूर्ण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता से सार्वजनिक जीवन में संयम और जिम्मेदारी के साथ बयान देने की उम्मीद की जाती है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल उनके पद की गरिमा के खिलाफ है और इससे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल उठते हैं।

कांग्रेस लातद इमरान मयूद बोले...भाजपा को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा नेताओं को भी उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, जिस भाषा में वे कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खंडेरा गांधी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। बीजेपी नेताओं को यह गलतफहमी थी कि उनके बयानों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अब उन्हें भी उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा।

संपादकीय

तकनीक और जवाबदेही से मजबूत होगी निगरानी

फ़ानकली, मिलावटी,अधोमानक और एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है,लेकिन चुनौती अब भी बनी हुई है। सवाल यह है कि नमूनों की जांच,छापेमारी और जुर्माने के बावजूद उपभोक्ताओं तक असुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंचने से कैसे रोका जाए।खाद्य सुरक्षा की समस्या केवल छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं है। बड़े कारोबारियों और कंपनियों के उत्पाद भी जांच के दायरे में आते हैं। ऐसे में निगरानी का दायरा बढ़ाने के साथ कार्रवाई की जवाबदेही तय करना भी आवश्यक है।खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ई-कामर्स मंचों पर उत्पादों की ऑनलाइन जानकारी में गड़बड़ियां पहचानने के लिए एआई आधारित उपकरण का परीक्षण कर रहा है। डार्क स्टोर में खाद्य पदार्थों के भंडारण का तापमान और कोल्ड चेन बनाए रखने के साथ क्लाउड किचन में साफ-सफाई की जांच पर भी ध्यान दिया जा रहा है।एनार्लॉग पनीर को पनीर के नाम से बेचने पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन का समझौदा जारी किया गया है। अधिक वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों पर चेतावनी चिह्न लगाने की व्यवस्था पर भी काम हो रहा है। एफएसएसआई के अनुसार,उसे हर महिने करीब पांच से छह हजार शिकायतें मिल रही हैं। देश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या तीन हजार से अधिक है और करीब एक हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। एआई खतरे के आधार पर जांच और बेहतर प्रयोगशालाएं निगरानी को प्रभावी बना सकती हैं। लेकिन तकनीक तभी कारगर होगी,जब गड़बड़ी मिलने पर समयबद्ध कार्रवाई हो।

रिक्त पद भरने,शिकायतों के निपटारे की निगरानी करने और बार-बार निमग्न तोड़ने वालों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा की सफलता केवल छापेमारी और जुर्माने के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंचने से तय होगी। केंद्र सरकार के अनुसार,वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच देश में खाद्य पदार्थों के 5,18,559 नमूनों की जांच की गई। इनमें 88,192 मामले में जुर्माना लगाया गया 3,614 मामलों में दोषसिद्धि हुई और 1,161 लाइसेंस रद्द किए गए।ये आंकड़े कार्रवाई का दायरा बताते हैं, लेकिन सभी मामलों को नकली खाद्य पदार्थों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इन्में अधोमानक, असुरक्षित और गलत लेबल वाले उत्पादों से संबंधित मामले भी शामिल हो सकते हैं। खाद्य कारोबारियों की बड़ी संख्या और राज्यों पर जांच की जिम्मेदारी के कारण निगरानी करना आसान नहीं है। नमूने लेने से लेकर प्रयोगशाला की रिपोर्ट और कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक समय लगता है। ऐसे में बार-बार निमग्न तोड़ने वालों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है।साथ ही,नोटिस या शिकायत को दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अंतिम निष्कर्ष जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

जंतर-मंतर पर प्रतिबंध,फिर भी सड़कों पर आंदोलन

वोट चोरी के आरोपों से शुरू हुआ आंदोलन,सरकार की जवाबदेही, विपक्ष की भूमिका और युवाओं की बेचैनी के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है। देश में चुनावी पारदर्शिता और कथित वोट चोरी को लेकर सुरू हुआ आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो अक्टूबर से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ। जंतर-मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन से संबंधित प्रतिबंधों और प्रशासनिक सीमाओं के बीच आंदोलन की आवाज सड़कों तक सुनाई दे रही है। विपक्षियों के साथ युवाओं की भागीदारी और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने वाले यूट्यूबर्स तथा डिजिटल पत्रकारों की सक्रियता ने इस मुद्दे को एक नया आयाम दिया है। सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास से जुड़ी चिंताओं को भी समझने की आवश्यकता है?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं,बल्कि जनता की इच्छ व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर हैं। मतदाता अपने मत के जरिए सत्ता को स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलने का अधिकार भी रखता है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठने वाले सवालों को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हालांकि, वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों को प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर परखा जाना भी उतना ही आवश्यक है। आरोप लगाया और आरोप सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि न तो सवाल पूछने वालों को बिना सुने

खारिज किया जाए और न ही बिना प्रमाण किसी आरोप को अंतिम सत्य मान लिया जाए। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के सामने विरोध प्रदर्शनों से निपटने की चुनौती रहती है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है,लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान भी जरूरी है। यदि किसी स्थान पर सुरक्षा,यातायात का कानून-व्यवस्था से संबंधित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनके पीछे स्पष्ट कारण होने चाहिए और उनका पालन निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए। सरकार की आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था विरोधी मान लेना उचित नहीं है। उसी प्रकार आंदोलन के नाम पर कानून तोड़ने या आम नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में सरकार और प्रदर्शनकारियों,दोनों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है।

यदि आंदोलन को लेकर यह धारणा बनती है कि सरकार असहमति की आवाज को जनता तक पहुंचने से रोकना चाहती है,तो इससे राजनीतिक अविश्वास बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि आंदोलनकारी तथ्यों के बजाय केवल भावनाओं के आधार पर दावे करते हैं,तो उनकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। बेहतर रास्ता यही है कि चुनावी शिकायतों की निम्पक्ष जांच हो,संबंधित संस्थाएं तथ्यों के साथ जवाब दें और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जाए। विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना भी है। यदि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाता है,



तो उसे ठोस साक्ष्य,व्यवस्थित शिकायतें और तथ्यात्मक तर्क सामने रखने चाहिए। केवल नारों और राजनीतिक आरोपों से जनता का विश्वास लंबे समय तक कायम नहीं रहा जा सकता। साथ ही,सरकार को भी यह समझना होगा कि विपक्ष की हर आलोचना को राजनीतिक षड़यंत्र बताकर खारिज कर देना समस्या का समाधान नहीं है। लोकतंत्र में सत्तास्थ और विपक्ष एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी अवश्य हैं,लेकिन दोनों की जवाबदेही अंततः जनता के प्रति है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को विश्वसनीयता भी इसी में है कि उसके निर्णयों,प्रक्रियाओं और शिकायतों निवारण व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे। इस आंदोलन के बीच यूट्यूबर्स और स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों की भूमिका विशेष रूप से ध्यान खींचती है। पहले समाचारों और राजनीतिक विमर्श पर मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव था,लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आम नागरिकों को भी अपनी बात व्यापक स्तर पर रखने का अवसर दिया है। आज कोई युवा घटनास्थल से वीडियो साझा कर सकता है,किसी सरकारी दावे को पड़ताल कर सकता है और उन मुद्दों को सामने ला सकता है जिन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिल रही हो। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने और जनता की समस्याओं को सामने लाने में उपयोगी हो सकती है। लेकिन हर यूट्यूबर स्वतः पत्रकार नहीं बन जाता।

विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए तथ्यों की पुष्टि, दोनों पक्षों को सुनना,स्रोतों की जांच करना और गलत सूचना फैलाने से बचना अनिवार्य है। बयारल होना और विश्वसनीय होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए डिजिटल माध्यमों से उठने वाली आवाजों को केवल उनकी राजनीतिक पसंद के आधार पर खारिज करना उचित नहीं है। उनकी सामग्री की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता का वास्तविक महत्व तभी है,जब वह सत्ता से भी सवाल पूछे और विपक्ष के दावों की भी निष्पक्ष पड़ताल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं के सामने विकास,रोजगार,अवसरों और बेहतर भविष्य की उम्मीद रखी थी। आज युवाओं का एक वर्ग रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं,महंगाई,शिक्षा और राजनीतिक जवाबदेही जैसे सवालों को लेकर मुख़्त दिखाई देता है। ऐसे में किसी भी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को केवल राजनीतिक दलों के प्रभाव का परिणाम मान लेना अपेक्षा विश्लेषण होगा।

युवाओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं। वे केवल घोषणाएं नहीं,बल्कि उनके परिणाम भी देखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि रोजगार के अवसर कितने बढ़े,शिक्षा कितनी सुलभ हुई,सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता कितनी मजबूत हुई और उनकी समस्याओं पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई की गई। यह जरूरी नहीं कि आंदोलन में शामिल प्रत्येक युवा किसी एक राजनीतिक विचारधारा का समर्थक हो। कई बार असंतोष का कारण किसी दल के प्रति समर्थन या विरोध से अधिक अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है। सरकार के लिए यह अवसर है कि वह युवाओं की शिकायतों को सुने,उपलब्धियों के साथ कमियों पर भी स्पष्टता से बात करे और ठोस नीतिगत समाधान सामने रखे। लोकतांत्रिक सरकार की ताकत केवल

चुनाव जीतने में नहीं,बल्कि आलोचना सुनने और जनता के भरोसे को बनाए रखने में भी होती है। वोट चोरी के आरोपों से जुड़े आंदोलन का वास्तविक निष्कर्ष नारों,रैलियों या राजनीतिक बयानबाजी से नहीं,बल्कि तथ्यों,जांच और संस्थागत पारदर्शिता से निकलेगा। यदि आरोपों में दम है,तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते,तो संबंधित संस्थाओं को स्पष्ट और विश्वसनीय तथ्यों के माध्यम से स्थिति सामने रखनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में जनता को भरोसेमंद जवाब मिलना जरूरी है। जंतर-मंतर पर प्रतिबंध हो या सड़कों पर विरोध, लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात में है कि अजहमति के लिए कितनी जगह बची है और सवालों के जवाब कितनी ईमानदारी से दिए जाते हैं। सरकार को कानून-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा। विपक्ष को भी आरोपों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना होगा। वहीं स्वतंत्र पत्रकारों और आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सत्यपन,शांति और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें। आधिकार,लोकतंत्र केवल बहुमत से सरकार बनाने का नाम नहीं है। वह जनता के विश्वास,संस्थों की निष्पक्षता और नागरिकों के सवाल पूछने के अधिकार से भी मजबूत होता है। यदि सरकार, विपक्ष और संवैधानिक संस्थाएं इस मूल भावना को समझें,तो आंदोलन टकराव का कारण बने के बजाय व्यवस्था में सुधार का अवसर बन सकता है। जनता को न केवल अपने प्रताधिकार की सुरक्षा का भरोसा चाहिए, बल्कि यह विश्वास भी चाहिए कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच सकती है और उसके सवालों का जवाब मिलेगा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है।

सौरभ वाघाँय
 उत्तमनगर,नई दिल्ली

शिक्षा तंत्र से डिग्री और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी

मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर सोचने,करने और समाज के लिए उपयोगी बनने की क्षमता पैदा करना है।= महात्मा गांधी की नई तालीम का मूल विचार इसी दिशा में था कि शिक्षा जीवन और श्रम से जुड़ी हो। आज जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में है, तब यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी शिक्षा युवाओं को केवल डिग्री दे रही है या उनके हथों में ऐसा कौशल भी दे रही है जिससे वे सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें और स्वयं रोजगार पैदा कर सकें।भारत में शिक्षा का विस्तार निरसदेह हुआ है। गांव-गांव विद्यालय,महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। आज शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन इसके साथ एक गंभीर समस्या भी सामने आई है डिग्री और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी। बड़ी संख्या में युवा स्नातक और स्नातोकोत्तर होने के बाद भी रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की लंबी कतार में खड़े दिखाई देते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश स्वयं एक पूर्णकालिक काम बन जाती है। यह कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय

शिक्षा व्यवस्था केवल बेरोजगार पैदा करती है, क्योंकि शिक्षा ने देश को वैज्ञानिक, चिकित्सक, अभियंता, शिक्षक, प्रशासक, उद्यमी और असांख्य विशेषज्ञ भी दिए हैं। समस्या अधिक गहरी है। शिक्षा का बड़ा हिस्सा अभी भी ज्ञान,परीक्षा और प्रमाणपत्र के इर्द-िर्द घूमता है,जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्था को ज्ञान के साथ कौशल, तकनीक, अनुभव और समस्या-समाधान की क्षमता चाहिए।

डिग्री बनाम दक्षता आज किसी युवक के पास बी.ए.बीकॉम,बीएससी या एमए की डिग्री हो सकती है,लेकिन यदि उसके पास कंप्यूटर,डिजिटल तकनीक,मशीन संचालन, इलेक्ट्रॉनिक्स,कृषि-तकनीक,लेखांकन,डिजाइन, डेटा विश्लेषण,स्वास्थ्य सेवा,निर्माण,मरम्मत,संचार अथवा किसी अन्य रोजगारपरक क्षेत्र की व्यावहारिक दक्षता नहीं है तो उसकी डिग्री रोजगार की गारंटी नहीं देती। यही वह बिंदु है जहां शिक्षा व्यवस्था को अपने



पुराने ढांचे पर पुनर्विचार करना होगा। डिग्री शिक्षा का अंत नहीं,रोजगार और जीवन की क्षमता का आरंभ होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसी समस्या को पहचानते हुए व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने,विद्यालय स्तर से कौशल शिक्षा देने और उद्योग के साथ शिक्षा संस्थानों के संबंध मजबूत करने की दिशा निर्धारित की है। नीति में 2025 तक कम-से-कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव देने का लक्ष्य रखा गया था। आवश्यकता अब लक्ष्य निर्धारित करने से आगे बढ़कर उसकी प्रभावी यमीन तैयार करने की है।

महात्मा गांधी की नई तालीम से सीख

महात्मा गांधी शिक्षा को हाथ, दिमाग और हृदय तीनों के विकास से जोड़ते थे। उनका बुनियादी शिक्षा में उत्पादनकारी कार्य और शिक्षा का संघर्ष महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ यह था कि विद्यार्थी केवल किताब से नहीं,काम करते हुए भी सीखता है।



अनुभव के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से सार्वजनिक मंच पर अधिक संयम और विवेक की अपेक्षा स्वाभाविक है। राजनीतिक सभा में कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो जाए,तो उसका उत्तर तर्क, तथ्य और आत्मविश्वास से दिया जा सकता है। लेकिन जब जवाब व्यक्तिगत संबंधों और परिवार तक पहुंच जाए, तब मुद्दे की गंभीरता पीछे छूट जाती है और शब्दों का विवाद मुख्य समाचार बन जाता है। राजनीति में शब्द केवल वक्ता की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं होते,वे उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक संस्कारों की भी परीक्षा लेते हैं। कांग्रेस की राजनीति में नरेंद्र मोदी को लेकर तीखे और विवादस्पद वक्तव्यों का इतिहास भी इस बहस को व्यापक संदर्भ देता है। वर्ष 2007 में सोनिया गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी के लिए 'मत का सौदागर' शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी राजनीतिक विवाद का कारण बन गई। कार्यक्रम में उपस्थित एक व्यक्ति की टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कहा,मोदी का बाप भी जाएगा। इस बयान की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तीखी आलोचना की। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस टिप्पणी को वैचारिक संदर्भ में समझाने का प्रयास किया। समाचारों के अनुसार संबंधित व्यक्ति ने भी बाद में कहा कि उसकी पूरी बात नहीं सुनी गई थी। इस घटनाक्रम के विभिन्न पक्ष अपनी-अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन विवाद से अलग एक बुनियादी प्रश्न अपनी जगह कायम है-क्या देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के प्रति विरोध जताने का यही तरीका होना चाहिए? खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे राजनीतिक

लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की पुकार है लेट और पीसीसी

लोकतंत्र किसी राष्ट्र की केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं,बल्कि उसकी सामूहिक चेतना,नैतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक परिपक्वता का प्रतिबिंब है। इसकी वास्तविक सफलता चुनावों की संख्या,सत्ता परिवर्तन अथवा राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि इस तथ्य से निर्धारित होती है कि शीशसंस्थितिकितना निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते,तो संबंधित संस्थाओं को स्पष्ट और विश्वसनीय तथ्यों के माध्यम से स्थिति सामने रखनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में जनता को भरोसेमंद जवाब मिलना जरूरी है। जंतर-मंतर पर प्रतिबंध हो या सड़कों पर विरोध, लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात में है कि अजहमति के लिए कितनी जगह बची है और सवालों के जवाब कितनी ईमानदारी से दिए जाते हैं। सरकार को कानून-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा। विपक्ष को भी आरोपों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना होगा। वहीं स्वतंत्र पत्रकारों और आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सत्यपन,शांति और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें।

आधिकार,लोकतंत्र केवल बहुमत से सरकार बनाने का नाम नहीं है। वह जनता के विश्वास,संस्थों की निष्पक्षता और नागरिकों के सवाल पूछने के अधिकार से भी मजबूत होता है। यदि सरकार, विपक्ष और संवैधानिक संस्थाएं इस मूल भावना को समझें,तो आंदोलन टकराव का कारण बने के बजाय व्यवस्था में सुधार का अवसर बन सकता है। जनता को न केवल अपने प्रताधिकार की सुरक्षा का भरोसा चाहिए, बल्कि यह विश्वास भी चाहिए कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच सकती है और उसके सवालों का जवाब मिलेगा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है।

सौरभ वाघाँय
 उत्तमनगर,नई दिल्ली

सौरभ वाघाँय उत्तमनगर,नई दिल्ली

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमरा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

पहुंचाने का अवसर खो सकता है। इसके विपरीत भाजपा को भी केवल विरोधियों के विवादस्पद बयानों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने कामकाज और नीतियों के आधार पर जनता के सामने जवाबदेह रहना चाहिए। राजनीति की भाषा समाज के व्यवहार को प्रभावित करती है। जब शीर्ष नेता सार्वजनिक मंचों पर संयम खोते हैं, तब उनके समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भी कटुता बढ़ने की आशंका रहती है। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को और तेज कर देता है, जहां किसी बयान का छोट-सा अंश पूरे विमर्श पर हावी हो सकता से जुड़े हैं। उनके समर्थक इन गतिविधियों को भारत की प्रतिष्ठ और प्रभाव में वृद्धि के रूप में देखते हैं। साथ ही, किसी भी प्रथामंत्री के कार्यकाल का निष्पक्ष आकलन केवल अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए नहीं, बल्कि घेरलू नीतियों, आर्थिक परिणामों,सामाजिक समावेशन और शासन के रिकॉर्ड से भी किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि नेतृत्व की उपलब्धियों का सम्मान हो और उसके निर्णयों की आलोचनात्मक समीक्षा भी संभव बनी रहे। यह भी विचारणीय है कि किसी नेता के विरुद्ध जितनी अधिक व्यक्तिगत और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है, उतना ही उसके समर्थकों में प्रतिक्रिया की भावना पैदा हो सकती है। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कांग्रेस की आलोचना का राजनीतिक असर हमेशा एक जैसा रहा हो, ऐसा निष्कर्ष निकालना तथ्यों से परे होगा। चुनावी परिणाम अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं-नेतृत्व,संपादन, स्थानीय मुद्दे,उम्मीदवार,गठबन्धन और मतदाताओं की अपेक्षाएं। फिर भी,यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जोखिम है कि यदि विपक्ष अपनी आलोचना को प्रमाण और नीतिगत विकल्पों के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आधारित करता है, तो वह अपनी बात जनता तक प्रभावी ढंग से

लोकतांत्रिक अधिकार है,लेकिन आलोचना तथ्यों और तर्कों पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हो या सत्तापक्ष के अन्य नेता सभी से अपेक्षा है कि वे असहमति को अपमान में न बदलें। राजनीति में शब्दों की मर्यादा कोई औपचारिक शिक्षाचार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता बदलेंगे, नेता बदलेंगे और दलों की स्थितियां बदलेंगी,लेकिन सार्वजनिक जीवन में बोले गए शब्द लंबे समय तक समाज की स्मृति में रहते हैं। इसलिए राजनीति को कटुता की नहीं, संवाद की भाषा चाहिए,क्योंकि लोकतंत्र में विचारों की विजय होनी चाहिए, व्यक्तिगत अपमान की नहीं।

सुनील सावन जी का प्रस्तावित सूत्र: शैक्षणिक योग्यता+पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र+नेता पात्रता परीक्षा+मतदान = योग्य राजनेता

यह सूत्र भारतीय लोकतंत्र में नेतृत्व की गुणवत्ता और नागरिक उत्तरदायित्व पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है। इसे किसी स्थापित कानूनी व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक सुधार के एक कदम के रूप में देखना चाहिए।

सामाजिक प्रस्ताव के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा। इस सूत्र में तीन परस्पर संबंधित मूल प्रश्न अंतर्निहित हैं:- 1.नेतृत्व में आवश्यक ज्ञान और विवेक कैसे विकसित हो? 2.उम्मीदवारों के सार्वजनिक आचरण के संबंध में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो? 3.मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रकार अधिक जागरूकता से करें?

इन तीनों प्रश्नों के उत्तर किसी एक परीक्षा या प्रमाण-पत्र में सीमित नहीं हो सकता;इसके लिए शिक्षा,न्यायपूर्ण संस्थाओं,निष्पक्ष सूचना-व्यवस्था और सक्रिय नागरिक भागीदारी के समन्वय की आवश्यकता है।

बौद्धिक क्षमता और संवैधानिक ज्ञान (प्लेटो एवं विवेकानंद के विचार)

राजनीतिक नेतृत्व की योग्यता पर विचार करते समय प्लेटो की प्रसिद्ध कृति प्रासंगिक दार्शनिक आधार प्रदान करती है। प्लेटो ने शासन,न्याय और ज्ञान के संबंध पर गंभीर चिंतन किया तथा दार्शनिक शासक की अवधारणा के माध्यम से विवेकपूर्ण शासन की आवश्यकता प्रतिपादित की। आधुनिक लोकतंत्र में इस विचार का आशय किसी विशेष वर्ग को सत्ता का एकाधिकार प्रदान करना नहीं,बल्कि यह समझना है कि सार्वजनिक निर्णयों में ज्ञान, न्यायबोध और दूरदर्शिता का महत्व अत्यधिक है। शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि,रोजगार,पर्यावरण और आर्थिक नीति से जुड़े निर्णय करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों में सविद्या, सार्वजनिक चित्त,प्रशासनिक प्रक्रियाओं,सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की बुनियादी समझ विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

डॉ. जे.जेन बहादुर वाघाणसी,उत्तरप्रदेश

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमरा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक



मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस का हल्लाबोल,दिल्ली महारैली की तैयारी तेज... सरगुजा में जिला कांग्रेस और बीएलओ की महत्वपूर्ण बैठक,टी.एस. सिंहदेव बोले...एसआईआर की खामियों को दूर करने पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी...

-संवाददाता-
 अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस ने अपना राजनीतिक अभियान तेज कर दिया है।'वोट बचाओ,देश बचाओ'आंदोलन के तीसरे चरण और आगामी 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित महारैली की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के कार्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एआईसीसी द्वारा आंदोलन के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक देवाशीष पटनायक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सहप्रभारी जरिता लैतफलांग सहित जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों, ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्षों और बड़ी संख्या में बृथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने हिस्सा लिया। बैठक में मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं, एसआईआर के दौरान छूटे मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया तथा आंदोलन को बृथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

'मताधिकार की लड़ाई किसी एक नेता की नहीं,देश के नागरिकों के अधिकार की लड़ाई'

बैठक को संबोधित करते हुए एआईसीसी पर्यवेक्षक देवाशीष पटनायक ने एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गैर-संवैधानिक तरीके से संचालित की गई और इसके परिणामस्वरूप देश के लगभग 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसी मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस लड़ाई को किसी एक नेता की व्यक्तिगत लड़ाई मानना गलत होगा, क्योंकि इसका संबंध देश के प्रत्येक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से है। पटनायक ने पार्टी



तीसरे चरण में गांव-गांव और बृथ-बृथ तक पहुंचेगा आंदोलन...

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सहप्रभारी जरिता लैतफलांग ने 'वोट बचाओ,देश बचाओ' आंदोलन के तीसरे चरण की रूपरेखा साझा करते हुए कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ अभियान में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन के प्रत्येक स्तर पर सक्रियता जरूरी है। मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान के तीसरे चरण में मतदाता सूची की जांच,पात्र नागरिकों के नाम छूटने की जानकारी जुटाने और लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी की घोषित रणनीति के मुताबिक,अभियान को जिला मुख्यालयों से आगे बढ़ाकर गांवों, वाडों और मतदान केंद्रों तक ले जाने की तैयारी है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची में नामों की स्थिति की पड़ताल करने और नाम छूटने या विवरण में गड़बड़ी की शिकायत सामने आने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष नियमानुसार आवेदन करने में नागरिकों की सहायता करने की अपेक्षा की जा रही है।

कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस अभियान को केवल राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित न रखें,बल्कि मतदाता सूची में अपना नाम तलाशने,पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायतों की जानकारी जुटाने और प्रभावित लोगों की सहायता करने पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आंदोलन की सफलता के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरना होगा।

सिंहदेव ने एसआईआर के बाद एसएसआर कराने पर उठाए सवाल : पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने संबोधन में कहा कि एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण

(एसएसआर) की प्रक्रिया अपनाया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सामने आई समस्याओं और कमियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने एसआईआर के दौरान छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के इस्तेमाल को लेकर अपनी आपत्ति जताई। सिंहदेव के अनुसार,फॉर्म-6 के साथ दिए जाने वाले घोषणा-पत्र में आवेदक को निर्धारित जानकारी और घोषणाएं करनी होती हैं। ऐसे में यदि पहले से मतदाता रहे किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर के दौरान सूची से छूट गया है,तो उसका नाम जोड़ने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट और उपयुक्त होनी चाहिए। उन्होंने



आशंका जताई कि गलत तरीके से घोषणा-पत्र भरने की स्थिति में संबंधित नागरिक को भविष्य में कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एसआईआर के दौरान छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए संसद के माध्यम से उपयुक्त संशोधित पत्र को मंजूरी दिलाई जाए और इसके बाद एसएसआर की प्रक्रिया के जरिए ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएं। उनका कहना था कि पात्र मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए और नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी नागरिक को अनावश्यक कानूनी जोखिम न उठाना पड़े। सिंहदेव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूचियों की बारीकी से जांच करने और पुनरीक्षण के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आने पर भाजपा मतदाता सूचियों में गड़बड़ी कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसी कथित अनियमितताओं के प्रति सजग रहना होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा का जनाधार कमजोर होने के कारण वह चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और निर्वाचन व्यवस्था में प्रभाव का सहारा ले रही है। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस नेताओं द्वारा बैठक में लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं।

अजय अग्रवाल बोले...कार्यकर्ताओं को कथित मिलीभगत नाकाम करने के लिए सक्रिय होना होगा: बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने भी भाजपा और निर्वाचन व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बन रहे राजनीतिक माहौल से भाजपा के खिलाफ जनभावना बढ़ने का संकेत मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के दौरान निर्वाचन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के सहारे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकती है। अग्रवाल ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस चुनौती का मुकाबला संगठनात्मक एकजुटता के साथ करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की जांच और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटने की स्थिति में उसकी शिकायत को सामने लाया जा सके।

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी महारैली : बैठक का प्रमुख एजेंडा 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट बचाओ,देश बचाओ' महारैली की तैयारियां भी रहीं। कांग्रेस इस रैली के जरिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण,कथित वोट चोरी और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की

तैयारी में है। पार्टी नेतृत्व का जोर अधिक से अधिक नेताओं,पदाधिकारियों और कार्य कर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कार्यक्रम के अनुसार,तीसरे चरण के आंदोलन को 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक व्यापक जनसंपर्क अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की योजना है। इसके तहत 1 नवंबर की महारैली के बाद भी मतदाता सूची से संबंधित मुद्दों पर जनजागरूकता और संगठनात्मक गतिविधियां जारी रहेंगी। पार्टी का लक्ष्य है कि मतदाता सूची में नाम कटने या छूटने की शिकायतों की जानकारी जुटकर पात्र नागरिकों को नियमानुसार नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में सहायता दी जाए।

बीएलओ की मौजूदगी में संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा

राजीव भवन में आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं,जिला कार्यकारिणी सदस्यों,ब्लॉक अध्यक्षों,मंडल अध्यक्षों और बड़ी संख्या में बीएलओ की उपस्थिति रही। बैठक में मतदाता सूची से संबंधित मुद्दों को लेकर बृथ स्तर पर समन्वय मजबूत करने और आंदोलन के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने किया। कांग्रेस के लिए यह अभियान अब केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं,बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। वहीं,एसआईआर और एसएसआर की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह भी महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता सूची में नाम छूटने की शिकायतों का निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर किस तरह निराकरण किया जाता है। लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना और निर्वाचन प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कायम रहना चुनाव व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है।

टेस्ट से एक दिन पहले छात्रा को स्कूल में नहीं मिला प्रवेश

छोटे के आरोप से परेशान लेकर छत पर चढ़ गई थी 12 वीं की छात्रा, हॉस्टल में रखने को लेकर स्कूल प्रबंधन ने लिया तख्ता तोड़

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

उर्सुलान स्कूल की कक्षा 12वीं की एक छात्रा को टेस्ट से ठीक एक दिन पहले स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले हॉस्टल में चोरी के आरोप से परेशान होकर छात्रा स्कूल की छत पर चढ़ गई थी। काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को बुलाकर उसे घर भेज दिया था। अब 27 अक्टूबर से छात्रा का टेस्ट शुरू होना है। इसे लेकर वह 26 अक्टूबर की शाम परिजनों के साथ स्कूल पहुंची, लेकिन प्रवेश नहीं हो सकी। छात्रा के अनुसार,कुछ दिन पहले हॉस्टल में एक छात्रा के ढाई हजार रुपए चोरी हो गए थे। चोरी की जिम्मेदारी उस पर डाली जा रही थी। इससे परेशान होकर वह अकेले रहना चाहती थी और इसी वजह से स्कूल की छत पर चढ़ गई थी। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन के बीच हड़कण मच गया था। मौके पर डीओ व पुलिस बल को बुलाया गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया था। छात्रा और उसके परिजन के अनुसार, स्कूल प्रबंधन हॉस्टल में रखने को लेकर तैयार नहीं है। वहीं, स्कूल की वाइस प्रिंसिपल एवं हॉल वार्डन सिस्टर सुनीला ने कहा कि प्रबंधन छात्रा को स्कूल से नहीं निकाल रहा है और उसे रखने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया कि छात्रा और परिजन से केवल सहमति पत्र लिया गया है। उनका कहना है कि यदि छात्रा दोबारा इस तरह की हरकत करती है, तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं होगी।



राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ

सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर छात्राओं ने श्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का लिया संकल्प

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' के अंतर्गत सोमवार को कार्यक्रम का शुभारंभ सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा के साथ हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एजेन टोप्पो ने समस्त टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग स्टाफ तथा छात्राओं को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डॉ. अक्का जैन ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए साहसपूर्व आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में लाल पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए अखंड भारत के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण किया गया। इस दौरान छात्राओं ने भ्रष्टाचार की रोकथाम और जनजागरूकता का संदेश देने के लिए विभिन्न स्लोगन तैयार किए। इन गतिविधियों के माध्यम से समाज में ईमानदारी,नैतिक मूल्यों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत 27 अक्टूबर को महाविद्यालय की छात्राओं एवं स्टाफ द्वारा वीकथन का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से आमजन को सत्यनिष्ठा अपनाने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।



निधन के बाद भी दो लोगों की जिंदगी में जगा सकते हैं रोशनी की उम्मीद ओमप्रकाश अग्रवाल के नेत्रदान से पेश की मानवता की मिसाल,बेटे और परिजनों की सहमति से पूरी हुई प्रक्रिया

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

अपनों को खोने के गम के बीच भी दूसरों के जीवन में उजाला लाने की पहल मानवता की मिसाल बन गई। अम्बिकापुर निवासी स्वर्गीय ओमप्रकाश अग्रवाल के निधन के बाद उनके पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल और परिवारजनों ने नेत्रदान का निर्णय लिया। परिजनों की संवेदनशील पहल से कॉर्निया संबंधी दृष्टिहीनता से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों के लिए नई उम्मीद जगी है। 25 अक्टूबर 2026 को रात 9.45 बजे ओमप्रकाश अग्रवाल का निधन हुआ। परिजनों की सहमति और नेत्रदान दल की तत्परता से रात करीब 11.38 बजे नेत्र उतकत प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उक्तकों की सिम्प, बिलासपुर पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

डॉ. अभिजीत जैन के नेतृत्व में पूरी हुई प्रक्रिया : नेत्रदान दल के टीम लीडर डॉ.अभिजीत जैन ने नेत्रदान में अभिषेक, डॉ. कंचन, नेत्र सहायक



मृत्यु के छह घंटे के भीतर सुचना देना जरूरी

नेत्रदान के लिए मृत्यु के बाद जल्द से जल्द निकटतम आई बैंक या नेत्र विभाग से संपर्क करना चाहिए। सामान्यतः मृत्यु के छह घंटे के भीतर नेत्र उतकत प्राप्त किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने जीवनकाल में नेत्रदान का संकल्प नहीं लिया हो, तब भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत परिजन लिखित सहमति देकर नेत्रदान करा सकते हैं। पहले से संकल्प लेने की स्थिति में भी परिवार की जानकारी और सहमति महत्वपूर्ण होती है।

अधिकारी एवं सहायक नेत्रदान अधिकारी रमेश धुतकर ने प्रक्रिया संपन्न की। नेत्र उतकतों को बिलासपुर पहुंचाने में जयप्रकाश विश्वकर्मा ने सहयोग किया।

इस कार्य में राजमाता देवेंद्रकुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर के अतिरिक्त डॉ. अविनाश मेश्राम, सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी

सरगुजा पुलिस ने देश के तेजतर्रार धावक अनिमेष कुजूर को किया सम्मानित 100 मीटर दौड़ में 10.14 सेकंड का समय निकालकर बनाई खास पहचान,उपलब्धियों से बढ़ाया छत्तीसगढ़ का गौरव

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले भारतीय धावक अनिमेष कुजूर को सरगुजा पुलिस ने सम्मानित कर उनकी खेल उपलब्धियों पर गर्व जताया। रक्षित केंद्र अम्बिकापुर के सभाक्षेत्र में आयोजित सम्मान समारोह में पुलिस अधिकारियों ने अनिमेष की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। अनिमेष,सरगुजा पुलिस में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक अमृत कुजूर के सुपुत्र हैं। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा और डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में आयोजित समारोह में अनिमेष की मेहनत,अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को सराहा गया। अधिकारियों ने कहा कि उनकी उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के ग्राम घुंटगांव में 2 जून 2003 को जन्मे अनिमेष कुजूर ने अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय एथलेटिक्स में खास पहचान बनाई है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में 10.14 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज कर जर्मनी के वेतज़लर में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान विदेश में सबसे तेज भारतीय धावक होने का गौरव हासिल किया। वहीं, 200 मीटर दौड़ में 20.32 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। डायमंड लीग में दौड़ने और



विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले भारतीय पुरुष धावकों में भी उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अनिमेष ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उपलब्धियों से भरे उनके सफर में एशियाई स्तर की प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक तथा सीनियर फेडरेशन कप और इंटर-स्टेट प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जैसी सफलताएं शामिल हैं। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि निरंतर अभ्यास,अनुशासन और दृढ़ संकल्प से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा जा सकता है। समारोह के अंत में सरगुजा पुलिस की एक अन्य उपलब्धि का भी उल्लेख किया गया।

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त साहवर जागृति अभियान के तहत सरगुजा पुलिस को रेंज में प्रथम स्थान मिलने पर पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा ने डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक बंसोड़, प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी,उप पुलिस अधीक्षक तुल सिंह पट्टनी,रक्षित निरीक्षक गुंमि सिंह राजपुत,प्रशिक्षु सुबेदार पैमिन वर्मा,प्रशिक्षु सुबेदार गुलशन चंदो सहित पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। समारोह ने खेल प्रतिभाओं के सम्मान के साथ पुलिस परिवार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया।

अग या चरमा नेत्रदान में बाधा नहीं...

वृद्ध व्यक्ति, चरमा पहनने वाले और उल्टियाबिंद से प्रभावित व्यक्ति भी संभावित नेत्रदाता हो सकते हैं। दान किए गए उतकों की जांच के बाद विशेषज्ञ प्रत्यारोपण के लिए उनकी उपयुक्तता तय करते हैं। नेत्रदान में आंख के पारदर्शी हिस्से कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, जिससे कॉर्निया संबंधी दृष्टिहीनता से प्रभावित उपयुक्त मरीजों को लाभ मिल सकता है। प्रशिक्षित दल द्वारा पूरी प्रक्रिया सम्मानपूर्वक की जाती है। इससे चेहरे की सामान्य बनावट प्रभावित नहीं होती और आम तौर पर अंतिम संस्कार की परंपराओं में भी बाधा नहीं आती। नेत्रदान स्वैच्छिक है और मानव नेत्रों व उतकों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है।

नेत्रदान दल के आने तक बर्तें रातघानी...

मृत्यु के बाद नेत्रदान कराने की स्थिति में मृतक की पलकों को धीरे से बंद रखें। बंद पलकों पर साफ नम रुई या गॉज रखें, सिर को थोड़ा ऊंचा रखें और आंखों को सुखने से बचाने के लिए पंखा बंद कर दें। इसके बाद आई बैंक या चिकित्सकीय दल के निर्देशों का पालन करें। स्वर्गीय ओमप्रकाश अग्रवाल के परिवार का यह निर्णय समाज के लिए प्रेरणादायी है। नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रांतियां दूर करने के लिए नागरिकों को अपने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। मृत्यु के बाद लिया गया एक संवेदनशील निर्णय किसी जरूरतमंद को फिर से दुनिया देखने का अवसर दे सकता है।

और नोडल अधिकारी डॉ. रजत टोप्पो का भी सहयोग रहा। परिजनों, चिकित्सकों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयास से समय पर नेत्र उतकत प्राप्त किए जा सके।

हेलमेट नहीं पहनने की लापरवाही पड़ रही भारी,सड़क हादसों में जा रही जान

डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल की अपील...हेलमेट पहनो,सुरक्षित घर लौटो,खान-पौष्टिक प्रभारियों को जमरूकत अभियान चलाने के निर्देश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

जिंदगी अनमोल है और सड़क पर की गई छोटी-सी लापरवाही पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। दोहाहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से होने वाली मौतों को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की है। उन्होंने सभी धाना एवं चौकी प्रभारियों को जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, हाल के दिनों में सरगुजा जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं पहनने की लापरवाही गंभीर साबित हुई है। सीतापुर धाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना में दो पुरुषों की सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह उदयपुर धाना क्षेत्र के ग्राम दाला में सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। वहीं, लखनपुर धाना क्षेत्र के लहतवरा में हुई दुर्घटना में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के



मुताबिक,इन सभी मामलों में संबंधित दोषहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। इन घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और हेलमेट की उपयोगिता को रेखांकित किया है। दुर्घटना के समय सिर पर लगने वाली गंभीर चोट जानलेवा साबित हो सकती है। हेलमेट पहनना न केवल यातायात नियमों का पालन है, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए नागरिकों को स्वयं जिम्मेदारी समझनी होगी। पुरुष हों या कामकाजी महिलाएं,दोपहिया वाहन चलाते समय या उस पर सवार होते समय आईएसआई मार्क वाला हेलमेट अवश्य पहनें और उसकी रिस्प ठीक से बांधें। हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं,बल्कि जीवन बचाने वाला सुरक्षा कवच है।



कोरिया की साहित्यिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा कोसम : प्रभात मिश्रा

कविता,संस्कृति और सम्मान का संगम बना कोरिया साहित्य महोत्सव,163 विभूतियां सम्मानित

कोसम के मंच पर साहित्य का सम्मान, दो दिनों में 147 कलाकार-साहित्यकार और 16 समाजसेवी सम्मानित

दिल्ली के मुरारी मंडल के काव्यपाठ ने बांधा समाज,प्रभात मिश्रा ने सराही कोरिया की साहित्यिक विरासत

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर,26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

लोककला,संस्कृति,साहित्य और वैचारिक विमर्श के अनूठे संगम के रूप में पहचान बना रहा कोरिया साहित्य महोत्सव अपने चतुर्थ संस्करण के साथ एक बार फिर जिले की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देता नजर आया,झुमका ओपन थिएटर में आयोजित दो दिवसीय कोरिया साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा की गरिमामय उपस्थिति ने साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ,इस दौरान साहित्यकारों,कवियों,कलाकारों,समाज सेवियों और विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को मंच से सम्मानित किया गया, आयोजकों के अनुसार,दो दिनों में कुल 147 कलाकारों एवं साहित्यकारों तथा 16 समाजसेवियों का सम्मान किया गया। दूसरे दिन के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया,इस अवसर पर एसईसीएल बैकुण्ठपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक नरेश प्रसाद,जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े,जिला पंचायत सदस्य गीता राजवाड़े और क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र श्रीवास्तव मंच पर उपस्थित रहे,साहित्य और लोकसंस्कृति के इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए साहित्यकारों और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को जोड़े रखा,महोत्सव के प्रथम दिन छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री यशम बिहारी जायसवाल ने चतुर्थ संस्करण का शुभारंभ किया था,दूसरे दिन राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की सहभागिता ने आयोजन को साहित्यिक विमर्श और रचनात्मक संवाद का एक और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

कोरिया की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ा रहा कोसम कोसम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने कहा कि कोरिया जिले के पास समृद्ध साहित्यिक और वैचारिक विरासत है,यहां की धरती ने लंबे समय तक साहित्यिक सृजन को ऊर्जा प्रदान



विचारों से तब होती है समाज के विकास की दिशा...

महोत्सव में शामिल वरिष्ठ विचारक नागेन्द्र वशिष्ठ ने भी साहित्यप्रेमियों और कलाकारों को संबोधित किया, देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर वैचारिक संवाद के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने वाले वशिष्ठ ने राष्ट्र निर्माण में साहित्य और कला की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया,उन्होंने रचनाकारों से आह्वान किया कि वे अपनी रचनाधर्मिता में राष्ट्रहित और सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता दें,उनके अनुसार,साहित्य समाज को सोचने, समझने और अपने आपसाप की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की दृष्टि प्रदान करता है,समाज के गठन और उसके सर्वांगीण विकास में विचारों की भूमिका अहम होती है,इसलिए साहित्यकारों और कलाकारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक चेतना के विस्तार का प्रयास करना चाहिए,उनके संबोधन ने आयोजन में मौजूद साहित्यप्रेमियों के सामने साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी और रचनात्मक अभिव्यक्ति के उद्देश्य पर विचार करने का अवसर प्रस्तुत किया।

की है और इस क्षेत्र का साहित्यिक इतिहास गौरवशाली रहा है,उन्होंने कहा कि कोरिया साहित्य महोत्सव इस विरासत को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को साहित्य तथा संस्कृति से जोड़ने की दिशा में शानदार पहल है,अपने संबोधन में उन्होंने भवानीप्रसाद मिश्र,आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विमल मित्र जैसे साहित्यकारों के कोरिया क्षेत्र से जुड़ाव और प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र साहित्य की सृजनात्मक परंपरा को पोषित करता रहा है,ऐसे आयोजनों से साहित्यिक गतिविधियों को नया मंच मिलता है और स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है,प्रभात मिश्रा ने साहित्य की सामाजिक भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन या शब्दों की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है,यह समाज की लोकसंस्कृति में मौजूद विभूतियों को पहचानने,जनचेतना विकसित करने और लोकहित के पक्ष में विचार प्रस्तुत करने का माध्यम भी है,सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जब भी कोई विविधता आती है,तो साहित्यकार अपनी संवेदनशील दृष्टि से उसे पहचानकर समाज के सामने रखता है,

इसीलिए एक सभ्य,जागरूक और संवेदनशील समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है,उन्होंने कोरिया साहित्य महोत्सव की विविधता की सराहना करते हुए कहा कि साहित्य, लोककला और संस्कृति को एक मंच पर मजबूत करते हैं,यह मंच स्थापित साहित्यकारों के साथ नवोदित रचनाकारों और स्थानीय कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है।

कोसम का चौथा संस्करण क्षेत्र के लिए उपलब्ध-कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित एसईसीएल बैकुण्ठपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक नरेश प्रसाद, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े और जिला पंचायत सदस्य गीता राजवाड़े ने भी आयोजन की सराहना की,उन्होंने कोरिया साहित्य महोत्सव के चतुर्थ संस्करण को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दीं, अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन साहित्य और संस्कृति के प्रति रुचि रखने वाले लोगों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं,यहां स्थापित साहित्यकारों और कलाकारों की प्रस्तुतियों को देखने-

147 कलाकारों और साहित्यकारों का सम्मान, 16 समाजसेवी भी हुए सम्मानित

कोरिया साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन विद्यालयीन बच्चों और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं,कार्यक्रम के दौरान राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने विशिष्ट अतिथियों और संस्था के संरक्षक नरेश सोनी की उपस्थिति में कोरिया के 38 नवोदित रचनाकारों तथा विभिन्न जिलों से आए 41 कलाकारों को मंच से सम्मानित किया,इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ पत्रकारों,श्रमिक नेताओं और समाजसेवियों को भी सम्मान प्रदान किया गया,आयोजकों के अनुसार, दो दिवसीय महोत्सव में कुल 147 कलाकारों एवं साहित्यकारों और 16 समाजसेवियों का सम्मान किया गया,यह सम्मान समारोह आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा,साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने वालों के साथ समाज के अन्य वर्गों में सक्रिय योगदान देने वाले लोगों को मंच पर स्थान देकर आयोजन ने रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया, सम्मान समारोह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के योगदान को पहचान देना और उन्हें आगे भी अपने कार्यों के प्रति प्रेरित करना रहा, ऐसे मंच स्थानीय प्रतिभाओं को सार्वजनिक पहचान देने के साथ उन्हें प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से आए साहित्यकारों और कलाकारों के संपर्क में आने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

सुनने के साथ नई पीढ़ी को सीखने का अवसर मिलता है,स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने से उनमें आगे बढ़ने और अपनी कला को बेहतर बनाने की प्रेरणा पैदा होती है,कोरिया साहित्य महोत्सव की विविधता यह रही कि इसमें साहित्यिक गतिविधियों के साथ लोककला,संगीत, कविता और सामाजिक विषयों को भी स्थान दिया गया,इस विविधता ने आयोजन को केवल साहित्यिक सम्मेलन देने सीमित न रखकर व्यापक सांस्कृतिक उत्सव का स्वरूप दिया।

दिल्ली के मुरारी मंडल के काव्यपाठ ने जीता श्रोताओं का दिल- महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित काव्य



त्रिवेणी कार्यक्रम में दिल्ली से आए प्रख्यात रचनाकार मुरारी मंडल ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को दो रात तक बांधे रखा, उनकी सहज और सरल प्रस्तुति को दर्शकों ने सराहा,उनकी रचनाओं के दौरान श्रोताओं की सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया,मुरारी मंडल के साथ मुंगेली से आए देवेन्द्र परियार और घरघोड़ा से पहुंचे हर्षराज हर्ष ने भी काव्यपाठ किया,तीनों रचनाकारों की प्रस्तुतियों ने साहित्यप्रेमियों को कविता के अलग-अलग रंगों से परिचित कराया,देर रात तक चले काव्यपाठ में श्रोताओं की रुचि बनी रही और कवियों को भरपूर सराहना मिली,इसके पहले युवाओं के कवि सम्मेलन और सियाधेश म्यूजिक बैंड की प्रस्तुति ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया,कविता और संगीत के इस मेल ने आयोजन को विविधतापूर्ण बनाया, स्थानीय दर्शकों की भागीदारी ने यह भी दिखाया कि साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जिले में उत्साहजनक माहौल मौजूद है।

लोककला और संस्कृति को मिला साझा मंच-कोरिया साहित्य महोत्सव का आयोजन साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ लोककला और सांस्कृतिक परंपराओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया, इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए साहित्यकारों और कलाकारों ने सहभागिता की, सरगुजा, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे रचनाकारों ने कविता पाठ और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आयोजन में विद्यालयीन विद्यार्थियों की भागीदारी भी रही। इससे नई पीढ़ी को साहित्य और संस्कृति से जोड़ने का अवसर मिला,वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभव, युवाओं की प्रस्तुतियां और विभिन्न विधाओं के कलाकारों की सहभागिता ने कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप दिया,संस्कृति विभाग, रकाईहाइट्स, साईनाथ फाउंडेशन और एसईसीएल के विशेष सहयोग से टीम अभिव्यक्ति द्वारा आयोजित इस महोत्सव ने स्थानीय और बाहरी प्रतिभाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया,चार संस्करण पूरे कर चुका यह आयोजन क्षेत्र में साहित्यिक-

सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आया है।

साहित्यकारों और गणमाध्यम नागरिकों की रही उपस्थिति-कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डीके उपाध्याय,रमेश गुप्ता,सुंदरलाल तिवारी,सूरजपुर से डॉ. ओंकार साहू,बैकुण्ठपुर तहसीलदार प्रांजल मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता,राजेश तिवारी, शैलेश तिवारी,सिद्धार्थ खेरवार,चंद्रा चर्चित,राजेंद्र सोनी, योगेंद्र मिश्रा,शैलेश शिवहरे,भानु पाल,अमित श्रीवास्तव और अनूप बड़ेरिया सहित अनेक साहित्यकार और गणमाध्यम नागरिक उपस्थित रहे, रायपुर से आशीष राज सिंघानिया, हर्षराज हर्ष, सुनील शर्मा,आयुष नागदेव,तारा पाण्डे, अलीशा शेख, योगेश गुप्ता,हरिकांत अग्निहोत्री, विनय तिवारी और मिराज अली सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए रचनाकारों ने भी सहभागिता की,आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार,साहित्यप्रेमी और संस्कृति से जुड़े लोग मौजूद रहे,पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन सुनील शर्मा ने किया,जबकि अंत में रुद्र मिश्रा ने उपस्थित अतिथियों,साहित्यकारों, कलाकारों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

नई पीढ़ी तक पहुंचा साहित्य और संस्कृति का संदेश-कोरिया साहित्य महोत्सव का चतुर्थ संस्करण साहित्यिक विरासत,वैचारिक संवाद, कविता,संगीत और सामाजिक सम्मान के विविध पहलुओं को एक मंच पर लेकर आया,राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने कोरिया की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया,वहीं अन्य वक्ताओं ने समाज निर्माण और राष्ट्रहित में साहित्य की भूमिका को रेखांकित किया,दो दिनों में 147 कलाकारों एवं साहित्यकारों और 16 समाजसेवियों का सम्मान,विभिन्न जिलों से आए रचनाकारों की सहभागिता तथा देर रात तक चले काव्यपाठ ने आयोजन को व्यापक पहचान दी, महोत्सव ने स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और साहित्य-संस्कृति के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने का संदेश दिया।

ऑटो चालक से लूट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार,वारदात में इस्तेमाल बुलेट जब्त

पहले वार आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार,हथियार दिखाकर मोबाइल लूटने का है आरोप

-संवाददाता- अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक से हथियार की धमकी देकर मोबाइल लूटने के मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सचिन प्रताप पुरी (20), निवासी बैरोपारा, शिकारी रोड, मगरखोड़ा, अम्बिकापुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की। मामले में पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार, सूरजपुर जिले के गेरवानी नाला क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर निवासी धर्मेन्द्र यादव 12 मई 2026 की रात करीब 12 बजे कोलडीहा में शादी समारोह से ऑटो लेकर अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 12:40 बजे ग्राम घंघरी के गेरवानी नाला क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 10 से 12 युवक पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने ऑटो के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर रास्ता रोका और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उनका एक्वा कंपनी का मोबाइल लूट लिया। इसके बाद आरोपी



सकालो की ओर भाग निकले। प्राथी की रिपोर्ट पर 13 मई 2026 को गांधीनगर थाने में अपराध क्रमांक 274/2026 के तहत बीएनएस की धारा 126(2), 310(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने वैभव मिश्रा उर्फ राज मिश्रा, लवकुश कुमार, सुमित विश्वास और मनीष देवनाथ को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन और एक पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। पृष्ठछाछ में अन्य साधियों की सलिसता सामने आने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने सचिन प्रताप पुरी को हिरासत में लेकर पृष्ठछाछ की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया।

साइबर सेल पहुंचकर विद्यार्थियों ने समझी डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराध की बारीकियां

राजीव गांधी शासकीय पीजी कॉलेज के एमएससी-बीएससी के 50 विद्यार्थियों ने लिया व्यावहारिक प्रशिक्षण

-संवाददाता- अम्बिकापुर,26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अम्बिकापुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के एमएससी एवं बीएससी के लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने साइबर सेल अम्बिकापुर का दौरा कर डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों की जांच प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा की अनुमति तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल सिन्हा और कंप्यूटर साइंस विभागाध्यक्ष सुश्री मोनिका खेस के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय Cyber Security Awareness: On-Field Experience of Digital Security and Law at Cyber Cell Ambikapur था। कार्यक्रम का समन्वय सहायक प्राध्यापक उमेश पांडेय, विनोद कुमार गुप्ता और अनुभव श्रीवास्तव ने किया। आईजी के निर्देश पर रेंज साइबर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष टीम गठित की। साइबर सेल में अधिकारियों ने विद्यार्थियों को



आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुरक्षा, अपराधों की निगरानी और साइबर अपराधों की जांच की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। साइबर विशेषज्ञ अधिकारी गणेश कदम ने शहर की निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों, फेस डिटेक्शन, वाहन पहचान तकनीक तथा आपराधिक गतिविधियों की निगरानी में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जानकारी दी। उन्होंने ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियों का प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कंट्रोल रूम में डायल 112 के अधिकारियों ने आपातकालीन

सहायता सेवा, यातायात नियंत्रण तथा इसकी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। महिला सुरक्षा के लिए 112 इंडिया ऐप की उपयोगिता और लोकेशन आधारित सहायता प्रणाली की जानकारी भी दी गई। उपनिरीक्षक अभय तिवारी ने विभिन्न साइबर अपराधों की केस स्टडी के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन उगी, बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल गुम होने, ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन अरेस्ट जैसी घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल साक्ष्य जुटाने और अपराधियों तक पहुंचने में इंटरनेट, नेटवर्क

विश्लेषण तथा अन्य तकनीकी संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। साथ ही साइबर अपराध का शिकार होने पर शिकायत दर्ज कराने और उगी से बचाव के उपायों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को आपातकालीन सहायता नंबर 112, साइबर विज्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन 1930, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 तथा सीईआईआर सहित संबंधित शिकायत पोर्टल की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई, ताकि विद्यार्थी जरूरत पड़ने पर स्वयं जागरूक रहने के साथ दूसरों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकें। कंप्यूटर साइंस विभाग की इस पहल से विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साइबर सुरक्षा और कानूनी के व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अवसर मिला।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी विभाग के विद्यार्थियों ने अम्बिकापुर पॉलीटेक्निक कॉलेज में एआईसीटीई द्वारा आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रम में स्टेट फोरेंसिक टीम, इसरो के वैज्ञानिकों और राधिका के साइबर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

दैनिक
घटती-घटना

अब नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों के रुख पर नजर बैकुण्ठपुर में स्वीमिंग पूल निर्माण की मांग ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले शहर की खेल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर चर्चा को नया विषय बना दिया है, शहरवासियों के लिए यह सुविधा कितनी उपयोगी होगी, यह उसके स्थान, लागत, पहुँच, सुरक्षा और संचालन व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा। इसलिए मांग पर विचार करते समय नागरिकों की जरूरतों और परिवोजना की व्यवहारिकता दोनों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा, फिहालत समासेवी सौरभ सिंह ने नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों से इस दिशा में पहल करने की अपील की है, अब दिखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस मांग पर विचार कर कोई प्रस्ताव तैयार करता है या नहीं और नगरीय निकाय चुनाव में शहर की खेल सुविधाओं को विकास के एजेन्डे में कितनी प्राथमिकता मिलती है, सौरभ सिंह की मांग का मुख्य संकेत यही है कि बैकुण्ठपुर के विकास की चर्चा में केवल वर्तमान की मूर्तभुत जरूरतें ही नहीं बल्कि बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए भविष्य में उपयोगी स्थापित होने वाली खेल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को भी स्थान मिलना चाहिए।

केल्हारी हादसे के बाद भी नहीं चेता परिवहन विभाग?

हसदेव में आज भी बिना अनुज्ञा पत्र के दौड़ रही हैं एसईसीएल की स्कूली बसें



- मध्यप्रदेश की पंजीकृत बसें, छत्तीसगढ़ में चलने का वैध प्राधिकार नहीं
- खोंगापानी-घुटरीडोला बैरियर से भी निकल रही हैं
- स्कूली बस नियमों का हो रहा उल्लंघन
- बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल



केल्हारी हादसे के बाद भी सवालों के घेरे में हसदेव की स्कूली बसें, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप

एसईसीएल द्वारा लीज पर ली गई मध्यप्रदेश में पंजीकृत 4 से 5 बसों के छत्तीसगढ़ में संचालन की वैधता पर सवाल,परमिट,फिटनेस,बीमा और सुरक्षा मानकों की जांच की मांग...

केल्हारी हादसे के बाद भी सवालों में हसदेव की स्कूली बसें,परमिट और सुरक्षा जांच की मांग...

बच्चों की बसें, लेकिन दस्तावेजों की जांच पर सवाल! एसईसीएल प्रबंधन से जवाब मांगने की जरूरत

हसदेव में लीज की स्कूली बसों की वैधता पर सवाल,परिवहन विभाग से जांच की मांग...

छह मौतों के बाद परिवहन विभाग सख्त, पर एसईसीएल की स्कूली बसों की जांच का क्या हुआ?

-रवि सिंह-

मनेंद्रगढ़/हसदेव, 26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

केल्हारी बस हादसे में छह लोगों की मौत के बाद परिवहन विभाग ने यात्री बसों की जांच शुरू की और कोरिया के जिला परिवहन अधिकारी को हटाकर रायपुर अटैच किए जाने की कार्रवाई भी सामने आई,लेकिन इसी बीच हसदेव क्षेत्र में एसईसीएल द्वारा लीज पर ली गई स्कूली बसों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं,आरोप है कि मध्यप्रदेश में पंजीकृत चार से पांच निजी बसें एसईसीएल कर्मचारियों के बच्चों को मनेंद्रगढ़ के स्कूलों और महाविद्यालयों तक लाने-ले जाने के लिए संचालित हो रही हैं,लेकिन उनके छत्तीसगढ़ में संचालन की वैध अनुमति और स्कूली परिवहन से जुड़े सुरक्षा मानकों की जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

मामला इसलिए संवेदनशील है,क्योंकि इन बसों में रोजाना बच्चे सपर करते हैं,ऐसे में बसों के दस्तावेजों, तकनीकी स्थिति,चालक की योग्यता और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की नियमित जांच होनी चाहिए,यदि किसी बस के पास लागू नियमों के तहत आवश्यक परमिट या प्राधिकार नहीं है अथवा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है,तो संबंधित विभाग और एसईसीएल प्रबंधन को तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,केल्हारी हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिवहन विभाग की कार्रवाई केवल

राजस्व की संभावित हानि का भी हो सत्यापन

शिकायत में यह आशंका भी जताई गई है कि यदि बसें आवश्यक प्राधिकार या लागू करों के भुगतान के बिना छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही हैं,तो राज्य की राजस्व का नुकसान हो सकता है,इस दावे की पुष्टि के लिए परिवहन विभाग को प्रत्येक बस के परमिट,संचालन की श्रेणी, लागू कर और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड की जांच करनी होगी,बिना इन दस्तावेजों के राजस्व हानि की निश्चित राशि बताना संभव नहीं है, यदि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो बकाया कर या शुल्क की वसूली और अन्य कार्रवाई लागू प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए,इससे न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा,बल्कि अंतरराज्यीय परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

यात्री बसों तक सीमित है,या बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की भी उसी गंभीरता से जांच की जा रही है?

मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक रोजाना आवागमन,वैध प्राधिकार की स्थिति स्पष्ट हो...

उपलब्ध जानकारी के अनुसार,एसईसीएल हसदेव क्षेत्र ने मध्यप्रदेश के कोयला खदान क्षेत्रों से कर्मचारियों के बच्चों को मनेंद्रगढ़ के विद्यालयों और महाविद्यालयों तक पहुंचाने के लिए निजी बसें लीज पर ली हैं, बताया जा रहा है कि ये बसें मध्यप्रदेश में पंजीकृत हैं और नियमित रूप से अंतरराज्यीय सीमा पार कर छत्तीसगढ़ आती हैं,ऐसे में संबंधित बसों के संचालन की वैधता की जांच जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 66 के तहत परिवहन वाहन के संचालन के लिए सामान्यतः वैध परमिट आवश्यक होता है,अंतरराज्यीय मार्ग पर वाहन संचालन के लिए परमिट की श्रेणी,संबंधित राज्यों की व्यवस्था और लागू नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति या प्राधिकार का होना भी महत्वपूर्ण है,हालांकि,किसी बस का मध्यप्रदेश में पंजीकृत होना अपने आप में उसके छत्तीसगढ़ में संचालन को अवैध नहीं बनाता,वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रत्येक बस का पंजीयन प्रमाण-पत्र,परमिट, संचालन का निर्धारित मार्ग,वाहन की श्रेणी और आवश्यक अंतरराज्यीय प्राधिकार देखा होगा,यदि इन बसों के पास छत्तीसगढ़ में संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं

जांच और कार्रवाई की मांग...

हसदेव क्षेत्र में संचालित बताई जा रही बसों को लेकर उठे सवालों के बीच संबंधित विभागों से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब अपेक्षित हैं की एसईसीएल द्वारा लीज पर ली गई बसों की संख्या और उनके पंजीयन नंबर क्या हैं? क्या प्रत्येक बस के पास छत्तीसगढ़ में निर्धारित मार्ग पर संचालन के लिए वैध परमिट या आवश्यक प्राधिकार है? बसों की फिटनेस,बीमा,प्रदूषण प्रमाण-पत्र और चालक के लाइसेंस का अंतिम सत्यापन कब किया गया? क्या बसों की क्षमता और स्कूली परिवहन के सुरक्षा मानकों का मौके पर निरीक्षण हुआ? खोंगापानी-घुटरीडोला जांच चौकी पर इन बसों की जांच का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है? एसईसीएल के कार्यदेश में निर्धारित शर्तों के पालन की निगरानी कौन करता है? इन सवालों का आधिकारिक जवाब सामने आने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है,यदि सभी नियमों का पालन हो रहा है,तो दस्तावेजों के आधार पर इसकी पुष्टि होनी चाहिए,यदि अनियमितता है,तो जिम्मेदार वाहन संचालकों और संबंधित पक्षों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए,बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाना केवल एसईसीएल या बस टेकेदार की औपचारिक जिम्मेदारी का विषय नहीं,बल्कि संबंधित परिवहन व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल भी है,केल्हारी हादसे के बाद जरूरी है कि जांच दुर्घटना के बाद नहीं,बल्कि उससे पहले हो-और स्कूली बसों के मामले में किसी भी संभावित कमी को समय रहते दूर किया जाए।

हैं, तो यह परिवहन नियमों के उल्लंघन का मामला बन सकता है,इसलिए परिवहन विभाग को संबंधित बसों की पहचान कर दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए और जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करने चाहिए।

खोंगापानी-घुटरीडोला बैरियर से गुजरने वाली बसों की जांच हुई या नहीं?

इस मामले में खोंगापानी-घुटरीडोला क्षेत्र में स्थित परिवहन जांच चौकी की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं,आरोप है कि संबंधित बसें रोजाना इस मार्ग से गुजरती हैं,लेकिन उनके दस्तावेजों की जांच किए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है,यदि ये वाहन नियमित रूप से अंतरराज्यीय सीमा पार कर रहे हैं,तो यह जानना जरूरी है कि जांच चौकी के रिकॉर्ड में इनके आवागमन और जांच का कोई विवरण दर्ज है या नहीं,क्या बसों के परमिट,फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण-पत्र की जांच की गई? क्या किसी बस में कमी मिलने पर चालान काटा गया? क्या संबंधित अधिकारियों ने एसईसीएल या बस संचालकों से दस्तावेज मांगे? इन सवालों का उत्तर जांच चौकी के रिकॉर्ड और संबंधित परिवहन अधिकारियों के आधिकारिक पक्ष से ही सामने आ सकता है,फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि जांच चौकी का अमला जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा,लेकिन बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की जांच को लेकर उठी शिकायतों की अनेक नई नहीं की जानी चाहिए।

केल्हारी हादसे के बाद बच्चों की बसों की जांच क्यों नहीं?

केल्हारी बस हादसे में छह लोगों की मौत के बाद परिवहन व्यवस्था की निगरानी और वाहनों की तकनीकी स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं,ऐसे में हसदेव क्षेत्र में बच्चों को ले जाने वाली बसों की जांच भी प्राथमिकता में होनी चाहिए,यह मामला किसी दुर्घटना की आशंका जताकर धर पैदा करने का नहीं, बल्कि दुर्घटना होने से पहले संभावित खामियों की पहचान करने का है,यदि बसों के दस्तावेज वैध हैं और सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है,तो जांच के आधार पर इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए,यदि कोई कमी सामने आती है,तो बच्चों की सुरक्षा से समझौता किए बिना नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए,परिवहन विभाग, खोंगापानी-घुटरीडोला जांच चौकी और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से बसों के संचालन की जांच करनी चाहिए,वहीं एसईसीएल प्रबंधन को भी अपने स्तर पर दस्तावेजों और सुरक्षा व्यवस्था का सत्यापन करना चाहिए।

स्कूली बसों में चालक के अलावा सहायक है या नहीं?

बसों के संचालन से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सुरक्षा व्यवस्था का है, शिकायत में दावा किया गया है कि कुछ बसों में चालक के अलावा कोई सहायक,परिचालक या आया मौजूद नहीं रहती और बच्चों को क्षमता से अधिक संख्या में बैठाया जाता है,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है,यदि बसों में वास्तव में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जा रहे हैं या लागू नियमों के तहत जरूरी सहायक की व्यवस्था नहीं है,तो यह गंभीर सुरक्षा चिंता है,बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केवल समय पर परिवहन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हो सकती,वाहन की स्थिति,चालक की योग्यता और यात्रा के दौरान बच्चों की देखरेख भी महत्वपूर्ण है,परिवहन विभाग को प्रत्येक बस का भौतिक निरीक्षण कर यह देखना चाहिए कि वाहन निर्धारित श्रेणी के अनुरूप है या नहीं,उसमें स्वीकृत क्षमता के अनुसार ही बच्चे बैठाए जा रहे हैं या नहीं और लागू नियमों के मुताबिक आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध है या नहीं,स्कूली बसों की जांच में वाहन की पहचान,निर्धारित रंग और संकेत,अग्निशमन यंत्र,प्राथमिक उपचार किट,गति नियंत्रण से संबंधित उपकरण तथा अन्य सुरक्षा सुविधाओं की स्थिति भी देखी जानी

चाहिए,सीसीटीवी और महिला सहायक सहित किसी विशेष सुविधा की अनिवार्यता संबंधित वाहन की श्रेणी तथा लागू नियमों के अनुसार सत्यापित की जानी चाहिए।

एसईसीएल के कार्यदेश और वास्तविक संचालन का मिलान जरूरी...

बताया जा रहा है कि एसईसीएल बसों के संचालन के लिए जारी कार्यदेशों में टेकेदारों को वैध दस्तावेज रखने और नियमों का पालन करने जैसी शर्तों का पालन करना होता है,ऐसे में यह जांचना जरूरी है कि कार्यदेश में दर्ज शर्तों का वास्तविक संचालन में पालन किया जा रहा है या नहीं,एसईसीएल प्रबंधन को लीज पर ली गई सभी बसों की सूची तैयार कर प्रत्येक वाहन के दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए। इसमें पंजीयन प्रमाण-पत्र,लागू परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र,बीमा,प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, चालक का वैध लाइसेंस और स्कूली परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज शामिल होने चाहिए,यदि किसी वाहन के दस्तावेज अधूरे हैं या सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाती है,तो संबंधित टेकेदार से नियमानुसार सुधार कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है,बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की जांच केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,मौके पर बसों की वास्तविक स्थिति भी देखी जानी चाहिए,एसईसीएल प्रबंधन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बसों की पिछली जांच कब हुई थी,दस्तावेजों का सत्यापन किस अधिकारी या एजेंसी ने किया था और सुरक्षा मानकों के पालन की निगरानी किस स्तर पर की जाती है।

बिना वैध परमिट संचालन पर हो सकती है कार्रवाई

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 परिवहन वाहन के संचालन के लिए परमिट की आवश्यकता से संबंधित है,जबकि धारा 192ए बिना वैध परमिट वाहन चलाने या परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है,संबंधित बसों पर कौन-सा प्रावधान लागू होगा, यह उनके दस्तावेजों और वास्तविक संचालन की जांच के बाद ही तय किया जा सकता है,यदि जांच में बिना आवश्यक परमिट संचालन की पुष्टि होती है,तो परिवहन विभाग को लागू कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, इसी तरह फिटनेस,बीमा,प्रदूषण प्रमाण-पत्र या चालक के लाइसेंस में कमी मिलने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है,कंपनी की जवाबदेही के संबंध में भी तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है, केवल किसी वाहन को लीज पर लेने से कंपनी हर संभावित दुर्घटना के लिए स्वतः समान रूप से जिम्मेदार नहीं हो जाती,जिम्मेदारी का निर्धारण लागू कानून,अवबंध की शर्तों, संबंधित पक्षों की भूमिका और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

खरगे के बयान पर सूरजपुर में भाजयुमो का उग्र प्रदर्शन

अग्रसेन चौक पर सियासी संग्राम: भाजयुमो ने फूंक का खरगे का पुतला,पुलिस से हुई झूमाझटकी

-संवाददाता-

सूरजपुर, 26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में सोमवार को सूरजपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने प्रदर्शन किया,जिला मुख्यालय के अग्रसेन चौक पर शाम करीब 4 बजे आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया,प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प और झूमाझटकी की स्थिति बनी,पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखते हुए पुतला दहन किया,भाजपा जिलाध्यक्ष



मुरली मनोहर सोनी के मार्गदर्शन और भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल हुए, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर नाराजगी जताई और विरोध दर्ज कराया, पुतला दहन के दौरान पुलिस की रोक-टोक के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी हुई।

प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भाजयुमो की ओर से जारी जानकारी के अनुसार,यह विरोध प्रदर्शन भाजपा प्रदेश

अध्यक्ष किरण देव सिंह के निर्देशन और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया, सूरजपुर में भी इसी क्रम में अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन कर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के खिलाफविरोध जताया गया।

देव गुप्ता बोले...अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं... प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ अमर्यादित भाषा का

इस्तेमाल अनुचित है,उन्होंने इसे कांग्रेस की हताशा और राजनीतिक सोच से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और देश का युवा ऐसा भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे।

भाजपा और भाजयुमो के कई पदाधिकारी रहे मौजूद प्रदर्शन के दौरान भाजपा महामंत्री शशिकांत गर्ग,आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक तिरेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष संत सिंह,जिला मंत्री राजेश्वर तिवारी और दीपक गुप्ता,बबलू गुप्ता, नगरपालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल,वार्ड पार्षद बिसेन तायल,सोनू गुप्ता,अखिल केजरीवाल,मंडल महामंत्री नीरज जिंदिया सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, भाजयुमो की ओर से जिला मंत्री सहीम अंसारी, जिला मीडिया प्रभारी दीक्षित वर्मा,कार्यालय मंत्री सोनू साहू,प्रचार-प्रसार प्रमुख विशाल गुप्ता, विकी सोनवानी,मंडल अध्यक्ष दिलीप साहू, महामंत्री हर्ष गुप्ता सहित महेंद्र साहू,गौरीशंकर साहू,अमन साहू,प्रिंस साहू,शानू साहू,गौरव दुबे, ओंइ राजवाड़े,हेमंत बैगा,पटेल ठकुर,राजू साहू, कृष्णा राजवाड़े,भुनेश्वर साहू,बलू साहू,मनोज साहू और खंडे साहू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

मुख्यमंत्री साय के दौरे को लेकर प्रेमनगर में तैयारी तेज,कलेक्टर ने परखी व्यवस्थाएं

28 को प्रेमनगर में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम, विकास कार्यों की मिलेगी सौगात

-संवाददाता-

सूरजपुर, 26 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 28 अक्टूबर को सूरजपुर जिले के नगर पंचायत प्रेमनगर में आगमन प्रस्तावित है,मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं,सोमवार को कलेक्टर रेना जमील ने प्रेमनगर स्थित पुष्प वाटिका के समीप कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया,उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां



निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यक्रम सुचारुवर्धित ढंग से संपन्न हो सके।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण,बैठक व्यवस्था,पार्किंग, आवागमन,हेलीपैड और सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाओं में आपसी समन्वय बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण किया जाए। कार्यक्रम में आने

वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक इंजांम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास... मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा,इससे संबंधित तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं,हालांकि,किन-किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा।

ब्रेस्ट टैक्स पर फेसबुक पोस्ट,छत्तीसगढ़ में एफआईआर... सुप्रीम कोर्ट बोला-ऐसे मामलों में केस दर्ज करने की क्या जरूरत,पुलिस बड़े मामलों पर ध्यान दें

रायपुर,26 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 'ब्रेस्ट टैक्स' को लेकर फेसबुक पर पोस्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किए जाने पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर.महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि, पुलिस को बड़े मामलों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत है? यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता रुपनारायण एक्का की अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि फेसबुक पोस्ट में इतिहास से जुड़ी एक बात कही गई थी और यह अपने आप में अपराध नहीं है। उन्होंने मामले को निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह की पोस्ट के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि, इसी वजह से हमने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। दरअसल,यह मामला 13 अप्रैल 2025 को फेसबुक पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक,पोस्ट में हिंदू महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।



पुलिस को बड़े मामलों पर ध्यान देना चाहिए...

इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि इसी वजह से कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। वहीं,जस्टिस आर. महादेवन ने सवाल उठाया कि ऐसी पोस्ट के लिए एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को बड़े मामलों पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी टिप्पणी की कि लोगों के पास समय बर्बाद करने के लिए बहुत समय है।

पुलिस के सामने पेश नहीं हुए आरोपी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने बताया कि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद भी एक्का पुलिस थाने में पेश नहीं हुए हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उन्हें बुलाया जाए, वह पेश होंगे। राज्य सरकार के वकील ने बताया कि उन्हें पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कम से कम अपाज जवाब दाखिल करना चाहिए था।

इसके बाद ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दीपक मिश्रा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। एक्का की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि पोस्ट में 'ब्रेस्ट टैक्स' का जिक्र किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि महिलाओं के स्तन ढकने पर लगाया जाने वाला टैक्स मुगल शासक औरंगजेब ने नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण ने लगाया था। यह इतिहास को लेकर एक राय थी, जो गलत भी हो सकती है,लेकिन केवल ऐसी पोस्ट के आधार पर अपराध नहीं बनता।

जशपुर के कुनकुरी थाने में दर्ज है एफआईआर

जशपुर जिले के कुनकुरी पुलिस ने रुपनारायण एक्का के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 और 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से धर्म या धार्मिक मान्यताओं का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण अपमान करने से संबंधित है। वहीं,धारा 353(2) विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य या घृणा बढ़ाने के इरादे से झूठी जानकारी या अफवाह फैलाने से संबंधित है।

छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल... 102 वनक्षेत्रपालों के तबादले का आदेश जारी

रायपुर,26 अक्टूबर 2026।

छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 102 वनक्षेत्रपालों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद वन विभाग में पदस्थापना को लेकर हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में अधिकारियों के स्थानांतरण से विभागीय कामकाज और मैदानी स्तर पर जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा। वनक्षेत्रपालों के तबादले को विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वन विभाग में वन संरक्षण,वन्यजीवों की सुरक्षा, अवैध कटाई पर नियंत्रण और वन क्षेत्रों के प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वन अधिकारियों के पास होती हैं। ऐसे में अधिकारियों की नई पदस्थापना का असर संबंधित क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

102 वनक्षेत्रपालों की बदली पदस्थापना

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी आदेश में 102 वनक्षेत्रपालों के स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है। आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों



छत्तीसगढ़ फीडबैक्यूटी विभाग में बड़ा फेरबदल : 91 टाई इंजीनियर का ट्रांसफर, रक्षक-दुर्ग समेत कई जिलों में बदले गए अधिकारी

छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूटी विभाग में 91 सिविल उप अभियंताओं का ट्रांसफर किया गया है। प्रशासनिक आधार पर यह तबादला किया गया है। आदेश के मुताबिक,संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। आदेश के अनुसार, प्रदीप कुमार चंद्राकर को रायपुर संभाग क्रमांक-3 से गरियाबंद,फारूक इशराक को नवा रायपुर से दुर्ग और चुनूलाल साहू को बलौदाबाजार से रायपुर संभाग क्रमांक-3 भेजा गया है। इसी तरह मंगल प्रसाद चंद्राकर को महासमुंद संभाग से विधानसभा रायपुर,मुकेश नायक को महासमुंद संभाग से राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) संभाग रायपुर और अंशुमान सिंह को गरियाबंद से धमतरी पदस्थ किया गया है।

को नई पदस्थापना के अनुसार कार्यभार संभालना होगा। हालांकि, तबादले से संबंधित विस्तृत जानकारी और प्रत्येक अधिकारी को सौंपे गए नए प्रभार की पुष्टि आधिकारिक आदेश की सूची से की जानी चाहिए। लंबे समय बाद

हुए इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद विभागीय स्तर पर नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कामकाज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, विभाग के इस फैसले को वन प्रशासन में बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

राज्योत्सव में दिखेगा वायुसेना की सारंग टीम का एयर शो

नवा-रायपुर के सेंध लेक के ऊपर होगा प्रदर्शन, स्वदेशी हेलिकॉप्टर ध्रुव से दिखाएंगे हैरतअंगेज करतव



रायपुर,26 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम आकर्षण का केंद्र रहेगी। सोमवार को टीम रायपुर पहुंच गई। राज्योत्सव के दौरान नवा रायपुर अटल नगर के सेंध लेक क्षेत्र के ऊपर हेलिकॉप्टर से हवाई करतब दिखाए जाएंगे। तीन दिवसीय राज्योत्सव में होने वाला यह प्रदर्शन दर्शकों को रोमांचित करेगा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विंग कमांडर देवशों पर ने बताया सारंग टीम स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव से प्रदर्शन करती है। टीम की पहचान हवा में सटीक उड़ान,एक साथ तालमेल के साथ बनाई जाने वाली आकृतियों और हैरतअंगेज करतबों के लिए है। प्रदर्शन के दौरान वायुसेना के जवान अपने कौशल,अनुशासन और टीमवर्क का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही स्वदेशी हेलिकॉप्टरों की क्षमता भी दिखाई जाएगी।

मोर के रंगों से मिलती है टीम की पहचान

सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम के हेलिकॉप्टरों के रंग मोर से प्रेरित हैं। टीम का ध्व्ये वाक्य 'ईस्रायर थू एक्सीलेंस' है,जिसका अर्थ उत्कृष्टता के जरिए प्रेरित करना है। टीम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करती है।

युवाओं को विमानन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की मिलेगी प्रेरणा

राज्योत्सव में सारंग टीम का प्रदर्शन आम लोगों, विद्यार्थियों और युवाओं को हेलिकॉप्टरों की उड़ान और विमानन की दुनिया को करीब से देखने का अवसर देगा। इसके जरिए युवाओं में विमानन के क्षेत्र में करियर बनाने और देश की सेवा करने के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

मंत्रियों से नाराजगी के सवाल पर रामविचार बोले- नो कमेंट्स,दिवाली पर जनता के साथ भोजन करेंगे भाजपा विधायक,स्मृति बोलीं...दूरियां मिटाएं



रायपुर,26 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दौरे के दूसरे दिन सोमवार को बैठकों का दौर खत्म हुआ। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ संगठनात्मक बैठक हुई। वहीं पहले दिन कुछ मंत्रियों को लेकर शिकायतें सामने आने की जानकारी मिली थी। मंत्रियों से नाराजगी के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा,'नो कमेंट्स।'वहीं,मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा,'जिसके ऊपर दाखिल होगा,थोड़ी शिकायत तो होगी ही।' बैठक के बाद कई मंत्रियों के चेहरे उतरे हुए नजर आए। मंत्री लखनलाल देवांगन अन्य मंत्रियों के निकलने से करीब एक घंटे पहले ही कार्यालय से रवाना हो गए। बैठक में स्मृति ईरानी ने विधायकों को दिवाली के समय अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में भोज आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं और जनता को शामिल किया जाएगा, ताकि उनके बीच की दूरियां मिटाई जा सकें। रविवार को दौरे के पहले दिन करीब 9 घंटे तक संगठन के अलग-अलग स्तर के नेताओं के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, संगठन की मजबूती और सरकार-संगठन के बीच तालमेल पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक, पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ बैठक में स्मृति ईरानी ने पूछा कि 2028 में प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसे बनेगी? उन्होंने सभी नेताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने और संगठन की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि बैठकों के दौरान पूर्व विधायकों,सांसदों और निगम-मंडल के अध्यक्षों ने कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर शिकायतें भी कीं। मंत्रियों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सांसदों और निगम-मंडल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठकों में सामने आईं।

छत्तीसगढ़ में चक्रवात 'अर्नब' का खतरा! अपर मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को सतर्क रहने का दिया निर्देश,दक्षिण बस्तर के 5 जिलों पर विशेष नजर रहेगी

रायपुर,26 अक्टूबर 2026। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में 27 से 29 अक्टूबर तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को मौसम संबंधी चेतावनियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमले को तैयार रखने को कहा गया है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिला कलेक्टरों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संभावित जोखिमों, राहत कार्यों तथा जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। शासन ने स्पष्ट किया कि पूरी तैयारी का उद्देश्य जनहानि को शून्य रखना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



दक्षिण बस्तर के पांच जिलों में बढ़ेगी निगरानी

संभावित तेज हवाओं के मद्देनजर बीजापुर,सुकमा,दंतोवाड़ा,बस्तर और नारायणपुर जिलों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। इन क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की पहचान करने, जोखिम वाले परिवारों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत इंतजामों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को राहत शिविरों में वीबीसी घंटे व्यवस्था बनाए रखने तथा भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी आपात परिस्थितियों में चिकित्सा सेवाएं निर्बाध रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है।

खड़े ट्रक से टकराई बस,5 की मौत...

बलौदाबाजार में यात्री का पैर कटकर अलग,गैस कटर से बस की बॉडी काटकर घायलों को निकाला गया

बलौदाबाजार,26 अक्टूबर 2026। बलौदाबाजार जिले में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम दरचुप के पास सोमवार सुबह बस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 3 को पहले और 2 घायलों ने रायपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सुबह करीब 5:30 बजे अंबिकापुर से रायपुर जा रही रॉयल कंपनी की सवारी बस सड़क पर खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में एक यात्री का पैर कटकर अलग हो गया। बस में फंसे यात्रियों को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। हादसा सिमगा थाना क्षेत्र में डैडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक,नेशनल हाईवे पर एक ट्रक खराब हो गई थी। सुरक्षा के लिए ट्रक के पास स्टॉपर लगाया गया था। इसी दौरान अंबिकापुर से रायपुर जा रही बस (सीजी04 एनएम0859) ट्रक के पीछे से टकरा गई। बस में 22 यात्री सवार थे। हादसे में जशपुर निवासी झड़कर भागीरथी यादव (37), बलरामपुर निवासी हेलपर पवन देवांगन (24) और बलरामपुर के ही यात्री समीम मोहम्मद (39) की मौत हो गई। वहीं बलरामपुर के रहने वाले अतुल कुमार (33) और रायगढ़ के रहने वाले सुंदर लाल (49) साल को रायपुर एम्स और मेकाहारा रेफर किया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई है।



गैस कटर से निकाले गए बस में फंसे यात्री

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल,एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। टक्कर के बाद कुछ घायल यात्री बस में फंस गए थे। उन्हें गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल सिमगा भेजा गया,जहां उनका इलाज जारी है।

7 घायलों को रायपुर भेजा गया

सिमगा थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे तेज रफ्तार सवारी बस टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पिकअप के सीक्रेट चेंबर से मिले 4 करोड़...रायपुर के ट्रांसपोर्टर से जुड़ी रकम

दुर्ग-भिलाई,26 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने पिकअप से 4 करोड़ रुपए कैश जब्त किया। रकम पिकअप के पिछले हिस्से में बने सीक्रेट चेंबर में रखी गई थी। पुलिस ने पिकअप सवार दो लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रायपुर के भनपुरी में जीडी ट्रांसपोर्ट से पैसा लोड किया गया था और इसे नागपुर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि रकम किसी ट्रांसपोर्टर की है। पुलिस यह पता लगा रही है कि पैसा कहाँ से आया और किस काम के लिए नागपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग (आईटी) की टीम को पत्र लिखकर दे दी है। अब आगे की जांच आयकर विभाग करेगा। मामला खुसीपार



थाना क्षेत्र के डबरापारा का है।

सूचना के आधार पर कार्रवाई : दरअसल, खुसीपार पुलिस सूचना मिली थी। इसके बाद वाहन जांच के दौरान सफेद रंग की बोलेरो मैक्स पिकअप (सीजी 04

क्यूयू 5996) को रोका गया। यह रायपुर से नागपुर जा रही थी। पुलिस ने पिकअप की जांच की तो उसका पिछला हिस्सा बदला हुआ मिला। इसे इस तरह बंद किया गया था कि अंदर रखी चीजें बाहर से

गाड़ी में सवार 2 लोगों से पूछताछ

पुलिस के अनुसार,पिकअप में दो लोग सवार थे। उनकी पहचान भवेशभाई जीनाभाई डाभी और विष्णुदेव दुबे के रूप में हुई है। डाभी गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक यह पता नहीं चला है कि पैसा किसका था और इसे किसके पास ले जाया जा रहा था।

आयकर विभाग को जानकारी भेजने की तैयारी

इसके अलावा पुलिस जांच कर रही है कि नकदी छिपाने के लिए गाड़ी के पिछले हिस्से में सीक्रेट चेंबर कब और किन्हने बनवाया था। बरामद रकम कहाँ से आई और उससे जुड़े कौन से दस्तावेज हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। पैसा कहाँ से आया, इसकी जांच के लिए आयकर विभाग को जानकारी भेजी जा रही है।

दिखाई न दें। बारीकी से तलाशी लेने पर करने पर कुल 4 करोड़ रुपए मिले। इतनी पिछले हिस्से में सीक्रेट चेंबर मिला। इसे बड़ी रकम छिपाकर ले जाने के मामले में खोलने पर अंदर कैश रखा हुआ था। गिनती पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।